न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री अमित कुमार मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
128/2024	25.06.2024	19/6/2025

नारायण पुत्र जिन्सी, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर ——प्रार्थीगण

बनाम

1. केशर देवी पत्नी स्व0 धमसू, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
2. कालू पुत्र रामजीत, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
3. गोपाल पुत्र ऊकार, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
4. जयफूल पुत्र लच्छू, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
5. जोधा पुत्र केदार, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
6. धन्नू पुत्र केदार, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
7. नरेश पुत्र लच्छू, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
8. बत्तीलाल पुत्र केदार, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
9. बाबू पुत्र ऊंकार, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
10. भगवान सिंह पुत्र ऊंकार, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
11. भवानी सिंह पुत्र फत्तू, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
12. भीम सिंह पुत्र धमसू, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
13. मुकेश पुत्र लच्छू, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
14. मलखान पुत्र ऊंकार, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
15. मोहन लाल पुत्र धमसू, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
16. राजेन्द्र कुमार पुत्र धमसू, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
17. राधे पुत्र लच्छू, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
18. रामराज पुत्र पिरथी, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
19. हेमराज पुत्र केदार, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
20 हरजी पुत्र बदरी, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
21 हरसहाय पुत्र बदरी, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
22 हलके पुत्र रामजीत, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
23. गुलबन्ती पत्नी सूसू, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
24. गोपाली पुत्री सूसू, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
25. मुकेशी बाई पत्नी मोहरसिंह, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
26. मगन पुत्र सूसू, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
27 मुरारी पुत्र सूसू, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
28. लाली पुत्री सूसू, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
29 हरि पुत्र सूसू, मीना निवासी खरेडा तह0 वजीरपुर
30 लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार वजीरपुर

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स०मा०)

——अप्रार्थीगण

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राज0 अधिनियम

उपस्थित :—श्री संजय शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की पूर्ण खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 375 रकबा 1.65 है0 ग्राम खरेडा तह0 वजीरपुर मे स्थित है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि की पूर्व दिशा मे भूमि ख0न0 372 एवं ख0न0 373 स्थित है जिनके खातेदारान से प्रार्थी को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी की उक्त भूमि की पश्चिम दिशा मे अप्रार्थी संख्या 1 ता 22 की भूमि स्थित है तथा उत्तर दिशा मे भूमि ख0न 0374 स्थित है जिसके खातेदारों से प्रार्थी को कोई आपत्ति नही है। दक्षिण दिशा मे प्रार्थी की कृषि भूमि ख0न0 448 के सटवां ही अप्रार्थी संख्या 23 ता 29 की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि वर्णित सम्पूर्ण आराजी का खातेदार काश्तकार है। फिर भी पश्चिम दिशा मे स्थित खातेदारान ने प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर रखा है। इसी प्रकार कृषि भूमि ख0न0 449 के खातेदारान अप्रार्थीगण ने भी प्रार्थी को तंग परेशान कर रखा है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार वजीरपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार वजीरपुर के आदेश की पालना में पटवारी सेवा व शेखपुर की मौजूदगी में नाप की गई तथा विवादित दिशाओं मे प्रार्थी को अपनी जमीन निकलवाकर चिन्हित किया गया परन्तु राजस्व कर्मचारियों के जाने के पश्चात अप्रार्थीगण ने दिनांक 18.06.2024 को धमकी दी कि अब हम जमीन को नही छोडेगें तथा अप्रार्थीगण नाप का मानने का तैयार नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 375 रकबा 1.65 है0 की तहसीलदार वजीरपुर की मौजूदगी मे टीम बनाकर विवादित दिशाओं मे नाप करवाकर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 ग्राम खरेडा खाता संख्या 81, 229, 228, 155, 91, फोटोकोपी नकल नक्शा शीट, नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.06.2024 प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 13 के अलावा शेष अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

Scanned with OKEN Scanner

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.06.2024 से स्पष्ट है कि प्रार्थी को उनकी भूमि ख0नं0 375 रकबा 1.65 है0 ग्राम खरेडा का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थी के पडौसी काश्तकारों से विवाद बने रहने की संभावना है। पडौसी काश्तकारों को इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर बुलाया गया परन्तु अप्रार्थी संख्या 13 के अलावा अन्य अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए तथा अप्रार्थी संख्या 13 द्वारा प्रकरण मे अपनी सहमति प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 375 रकबा 1.65 है0 ग्राम खरेडा की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थी को उनकी खातेदारी भूमि ख0नं0 375 रकबा 1.65 है0 ग्राम खरेडा तह0 वजीरपुर पर पत्थरगढी करावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/6/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अमित कुमार मीना)
उप जिला कलक्टर

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स0मा0)